राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय)
ऐयर पोर्ट रोड गांधी नगर, भोपाल–462033

) 755–2678870 फेक्स न0 0755–2742006

क्रमांक/रा.गां.प्रौ.वि./अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2164 भोपाल, दिनांक ,/06/2013

प्रति,
समस्त प्राचार्य/संचालक
विश्वविद्यालय से सबद्ध इजीनियरिंग/फार्मेसी
एम0सी0ए0/आर्किटेक्चर महाविद्यालय
मध्य प्रदेश।

विषय :– संस्थानो में रैगिंग की रोकथाम हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से सबद्ध समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन मे विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों एवं मानव अधिकार आयोग द्वारा बताये गये सुझावों पर गंभीरतापूर्वक अमल किया जावें। राज्य शासन, मानव अधिकार आयोग, जिला प्रशासन द्वारा शैक्षणिक संस्थानो को समय–समय पर आवश्यक सुझाव एवं निर्देश प्रदान किये जाते है।

यह सुनिश्चित करें कि, इन सुझावों का समुचित पालन हो एवं रैगिंग के संबंध में " जीरो टॉलरेस " की नीति का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इन निर्देशों को सूचनापटलों पर तथा वरिष्ठ छात्रों के बीच व्यक्तिगत रूप से प्रसारित करवाने का कष्ट करें, ताकि छात्रों के बीच रैगिंग जैसी गंभीर कुप्रथा के विरोध मे जागरूकता पैदा की जा सके। महाविद्यालय में एंटी रैगिंग कमेटी का गठन किया जावे एवं कमेटी के सदस्यों के नाम उनके मोबाईल नम्बर सहित सूचना पटल पर चस्पा किया जावे। जिससे कनिष्ठ छात्रों के भय को दूर किया जा सके एवं वह अपने साथ की जा रही किसी भी प्रकार की रैगिंग से महाविद्यालय प्रशासन को आसानी से अवगत करा सके।

महाविद्यालयो मे कनिष्ठ छात्रों और वरिष्ठ छात्रों के बीच स्नेह सम्मेलन एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करें, जिससे कि वरिष्ठ छात्र रैगिंग जैसी कुप्रथा में संलग्न न हो सकें एवं संस्थान के वरिष्ठ छात्रों के होस्टल का आकस्मिक निरीक्षण भी करें, तथा किसी भी अनैतिक गतिविधि में संलग्न छात्रों के साथ कड़ाई से अनुशासनात्मक कार्यवाही करें। साथ ही अपने महाविद्यालय में मनोवैज्ञानिको की पदस्थापना पर विचार कर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

आप को निर्देशित किया जाता है कि, संस्थान द्वारा रैगिंग रोकने संबंधी उठाये जा रहे अन्य आवश्यक प्रयासों एवं योजनाओं के संबध मे विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप से अवगत करावें।

26.6.13

(डॉ0 अनिल गोयल)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल

क्रमांक/रा.गां.प्रौ.वि./अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2165 भोपाल, दिनांक 26/06/2013

प्रतिलिपि –

1 माननीय महामहिम कुलधिपति जी, के निज सचिव की ओर माननीय महामहिम कुलाधिपति जी, के सूचनार्थ प्रेषित।
2 माननीय मंत्री जी, तकनीक शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3 संचालक, तकनीक शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन चतुर्थ तल भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4 माननीय कुलपति जी के स्टाफ ऑफीसर की ओर माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।

26.6.13

(डॉ0 अनिल गोयल)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल

Generated by CamScanner from intsig.com

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय)

ऐयर पोर्ट रोड गांधी नगर, भोपाल–462033

न0 755–2678870 फेक्स न0 0755–2742006

क्रमांक/रा. गां. प्रौ. वि. /अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2356 भोपाल, दिनांक 11/07/2013

स्मरण पत्र

प्रति,
समस्त प्राचार्य/संचालक
विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग/फार्मेसी
एम0सी0ए0/आर्किटेक्चर महाविद्यालय
मध्य प्रदेश।

विषय :– संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के पालन में विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों एवं मानव अधिकार आयोग द्वारा बताये गये सुझावो पर गंभीरतापूर्वक अमल किया जावें। राज्य शासन, मानव अधिकार आयोग, जिला प्रशासन द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को समय–समय पर आवश्यक सुझाव एवं निर्देश प्रदान किये जाते है।

यह सुनिश्चित करे कि, इन सुझावों का समुचित पालन हो एवं रैगिंग के संबंध में " जीरो टॉलरेंस " की नीति का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इन निर्देशों को सूचनापटलों पर तथा वरिष्ठ छात्रों के बीच व्यक्तिगत रूप से प्रसारित करवाने का कष्ट करे, ताकि छात्रों के बीच रैगिंग जैसी गंभीर कुप्रथा के विरोध में जागरूकता पैदा की जा सके । विश्वविद्यालय से प्राप्त, रैगिंग रोकथाम के पोस्टर महाविद्यालय में विभिन्न स्थानों पर चस्पा करें। महाविद्यालय में एंटी रैगिंग कमेटी का गठन किया जावे एवं कमेटी के सदस्यों के नाम उनके मोबाईल नम्बर सहित सूचना पटल पर चस्पा किया जावे। जिससे कनिष्ठ छात्रों के भय को दूर किया जा सके एवं वह अपने साथ की जा रही किसी भी प्रकार की रैगिंग से महाविद्यालय प्रशासन को आसानी से अवगत करा सके।

महाविद्यालयो मे कनिष्ठ छात्रों और वरिष्ठ छात्रों के बीच स्नेह सम्मेलन एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करें, जिससे कि वरिष्ठ छात्र रैगिंग जैसी कुप्रथा में संलग्न न हो सकें एवं संस्थान के वरिष्ठ छात्रों के होस्टल का आकस्मिक निरीक्षण भी करे, तथा किसी भी अनैतिक गतिविधि में संलग्न छात्रों के साथ कड़ाई से अनुशासनात्मक कार्यवाही करे। साथ ही अपने महाविद्यालय मे मनोवैज्ञानिकों की पदस्थापना पर विचार कर कार्यवाही करने का कष्ट करे।

आप को निर्देशित किया जाता है कि, संस्थान द्वारा रैगिंग रोकने संबंधी उठाये जा रहे अन्य आवश्यक प्रयासो एवं योजनाओं के संबंध में विश्वविद्यालय को आवश्यक रूप से अवगत करावें।

11.7.13

(डॉ0 अनिल गोयल)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल

क्रमांक/रा. गां. प्रौ. वि. /अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2357 भोपाल, दिनांक 11/07/2013

प्रतिलिपि –

1 माननीय महामहिम कुलधिपति जी, के निज सचिव की ओर माननीय महामहिम कुलाधिपति जी, के सूचनार्थ प्रेषित।
2 माननीय मंत्री जी, तकनीक शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3 संचालक, तकनीक शिक्षा संचालनालय सतपुढ़ा भवन चतुर्थ तल भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4 माननीय कुलपति जी के स्टाफ ऑफीसर की ओर माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।

11.7.13

(डॉ0 अनिल गोयल)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल

M/F

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

(मध्य प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय)

ऐयर पोर्ट रोड गांधी नगर, भोपाल–462033

फो0 755–2678870 फैक्स न0 0755–2742006

क्रमांक रा गां प्रौ वि / अधिष्ठाता छात्र कल्याण / 2013 / 3143 भोपाल दिनांक [illegible] / 06 / 2013

प्रति

समस्त प्राचार्य / संचालक

विश्वविद्यालय से संबद्ध इंजीनियरिंग / फार्मेसी

एम.सी.ए. / आर्किटेक्चर महाविद्यालय

मध्य प्रदेश।

विषय – छात्रावास की समुचित जानकारी के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधीनस्थ संचालित किये जा रहे छात्रावास की समुचित जानकारी निम्न बिन्दुवार पत्र जारी होने की तिथि से एक सप्ताह की अवधि के अन्दर आवश्यक रूप से इस विश्वविद्यालय को प्रेषित करें।

1. क्या संस्था का छात्रावास संस्था के परिसर में स्थित है अथवा नहीं ? यदि है तो छात्रावास का कुल क्षेत्रफल एवं उसकी क्षमता इत्यादि।
2. छात्रावास यदि संस्था के बाहर संचालित किया जा रहा है तो उस भवन का पता एवं दूरभाष तथा गृहस्वामी का नाम, यदि अनुबंध निष्पादित किया हो तो उसकी भी जानकारी का ब्यौरा देवें।
3. छात्रावास में छात्र – छात्राओं के रहने अथवा उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है, उसकी सम्पूर्ण जानकारी देवें।
4. परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है यदि हाँ तो छात्रावास में संलग्न सुरक्षाकर्मी की जानकारी मय पहचान-पत्र के देवें।
5. छात्रावास की देखरेख हेतु किस व्यक्ति को अधिकृत किया गया है उसकी सम्पूर्ण जानकारी मय मोबाईल एवं दूरभाष क्रमांक सहित देवें।
6. आपकी संस्था द्वारा एण्टी रैगिंग समिति का गठन किया गया है अथवा नहीं ? किया गया है तो उनके सदस्यों की जानकारी देवें और यदि नहीं किया गया है तो अपना स्पष्टीकरण देवें।
7. रैगिंग की रोकथाम हेतु संस्था स्तर पर की गई कार्यवाही से अवगत करावें।

नोट – सत्र 2013–14 हेतु रैगिंग रोकथाम पोस्टर विश्वविद्यालय के परीक्षा शाखा के आवक–जावक विभाग से प्राप्त कर अपनी संस्था के अधिकतम स्थानों एवं छात्रावास में आवश्यक रूप से चस्पा करें।

6.6.13

(डॉ. अनिल गोयल)

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

भोपाल

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय)
ऐयर पोर्ट रोड गांधी नगर, भोपाल-462033
फो0 755-2678870 फैक्स न0 0755-2742006
क्रमांक/रा.गां.प्रौ.वि./अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2580 भोपाल, दिनांक 01/08/2013

// सूचना //

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों के संचालक/प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि, विश्वविद्यालय द्वारा बार-बार (पत्र क्रं./रा.गां.प्रौ.वि./अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2164 भोपाल, दिनांक 26/07/2013, एवं पत्र क्रं./रा.गां.प्रौ.वि./अधिष्ठाता छात्र कल्याण/2013/2356 भोपाल, दिनांक 11/07/2013) निर्देशित किये जाने के बावजूद भी अधिकतम महाविद्यालयों नें सत्र 2013–2014 हेतु एण्टीरैगिंग कमेटी का गठन नही किया है। अतः शीघ्र एण्टरैगिंग कमेंटी का गठन कर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण विभाग में सूचित करें अन्यथा आपके महाविद्यालय के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेंगी।

01.08.13

(डॉ. अनिल गोयल)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
भोपाल

Generated by CamScanner from intsig.com